95-L-J(D)D)19RSS-18

गैस पेथरों का प्रकाशन

3444 श्रीमतो सत्या बहिन : क्या मानव संसाधन विकास बंदें: क्या यह बताने को कृपा करेंगे कि :

्ल) सरला द्वारा अध्यक्षको द्वारा ट्युणनो का सहारा लेने कं प्रवृति को रोकने को लिए क्या-क्या कदम उठाये पर्य हैं:

(ख) सरकार ढारा अवश्यंभावी सफलता क नाम गर कुछ शिक्षण केंद्रों ढारा प्रकाशित गैस येवरों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या कार्यधाई की जा रही है, और

(ग) क्या सरकार इन गैस पेपरों की विश्वी की निष्प्रभावी बनाने के लिये पाठ्यकर और प्रण्न-पत्न तैयार करने की योजना में कुछ परि-वर्तन करने पर विधार कर रही है, यदि हो, ती क्या इस कार्य में अत्यापकों का सहयोग प्रान्त किया जीवेगा ?

मातव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा वभाग ओर संस्कृति विभाग) में उत्मंती (कमारी सैलजा):

(क) केन्द्रीय गिविल सेवा (आचरण निथमा-बली) के अन्तर्भत, केन्द्र सरकार के शिक्षकों द्वारा, प्राइवेट ट्यूशन करना पहले से ही निषेद्ध है। जहां तक राज्यों में शिक्षकों द्वारा ट्यूशन करने से रोकने का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने की शक्षिया को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाएं। कुछ राज्यों/संघशासित क्षेत्रों

के शिक्षा अधिनियम भी प्राईवेट ट्यूशनों को प्रतिबन्धित करते हैं।

to Questions

(ख) और (ग) वर्ष 1992 में यथासंश्रोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, परीक्षा पर्वति को सुधारने के लिए कुछ कार्यात्मक तरीकों को अपनाने का निर्धारण किया गया है। इन उपायों में स्कूलों द्वारा सतत एवम् व्यापक मुल्यांकन करना भी एक उपाय है जिसमें स्वैच्छिक तथा गैर शिक्षक पहलुओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीवि में अनुसासित सभी कार्यात्मक तराकों, जिनमें सतत एवम् विस्तृत मुल्यांकन भी शामिल हैं, को सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों तथा देश के विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों को परिचालित किया गया है, तथा उनसे यह आग्रह किया गया है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ करें। प्रत्येक बोर्ड से संबद्ध स्कूल प्रणाली के सम्बन्ध में सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन सहित परीक्षा पद्धति के सुधारकों इन सरीकों, के कार्या-न्वयन की वास्तविक जिम्मेदारी बांडों की होती है। सतत एवम् व्यापन मूल्यांकन के क्रमिक कार्यान्वयन से यह आशा की जा सकती हे कि वाह्य परीक्षाओं की प्रधानता तथा गैस पेपरों की मांग कम हो आएगी । गैस पेपरों के प्रकाशन को प्रतिबन्धित करने का मामला, राज्य सरकारों/संघर्शासत क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा विभागों की प्रशासनिक शक्तियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। परीक्षा पद्धति में सुधार करने संबंधी सभी विषयों में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकार की होगी।

तथापि, दिल्ला प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन के सभी स्कूलों में दसवों और बारहवीं कक्षा के छातों के लिए पूर्व बोर्ड परीक्षाएं ली जा रही हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दसवीं और वारहवीं कक्षाओं जिनकी परीक्षाएं केन्द्रीय माध्य-मिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती हैं, को छोड़कर अ य सभी कक्षाओं के लिए सक्षत एवम् ध्यापक मूल्यांकन पद्धांत को केन्द्रीय विद्यालयों में भी अपनाया जाए।

274